

## आदेश

निदेशालय के पृ० क्रमांक 244-365/स्था०-4 (2) दिनांक 20-02-2018 द्वारा कृषि निरीक्षक (सामान्य केडर) के पद पर चयनित हुए उम्मीदवारों में से 50 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय उक्त आदेशों में बिन्दु-बी पर निम्न शर्त अंकित की गई थी:-

“That the candidates shall submit original certificates of their academic qualifications, age, caste/category and other relevant certificates to the concerned Head of the Office and their joining report will be accepted after verification of their documents from the issuing authorities.”

अब उक्त बिन्दु-बी पर अंकित उपरोक्त शर्त को हटाते हुए उक्त शर्त के स्थान पर निम्न शर्त पढ़ी जाये:-

“The candidates will join their respective offices after submission of original certificates of their academic qualifications, age, caste / category and other relevant certificates to the concerned Head of the Office which will be subject to verification. If any discrepancy be found in future necessary legal action will be initiated and provisions of probation period will be invoked. It will be responsibility of the head of the office(s) to get the documents / certificates verified within a time period not later than 3 months from the date of joining.”

दिनांक: 12-03-2018

डी.के.बहेरा, आई०ए०एस०  
निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,  
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्रमांक: 4209-60 /स्था०-4(2), दिनांक 13-03-2018

इसकी एक प्रति निदेशालय के पृ० क्रमांक 244-365/स्था०-4 (2) दिनांक 20-02-2018 के निरन्तर में निम्न :-

1. अतिरिक्त गन्ना आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला,
  2. उप कृषि निदेशक(पी०पी०), हरियाणा, पंचकूला,
  3. सभी सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, हरियाणा राज्य,
  4. सभी सहायक गन्ना विकास अधिकारी, हरियाणा राज्य,
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

M. Paty

सहायक निदेशक (प्रशा०-II)  
कृते: निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,  
हरियाणा, पंचकूला।